उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–52/2019

फुटु महतो वगै० बनाम् धनेश्वर करमाली एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
17.01.2023	इस वाद की कार्यवाही अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के पत्रांक–748/रा०, दिनांक–15.06.2019 द्वारा भू–वापसी अपील वाद सं०–01/2016 फुटु महतो वगै० बनाम् धनेश्वर करमाली एवं राज्य का मूल अभिलेख के साथ संलग्न आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजीबाग में दायर भू–वापसी रिविजन वाद सं०–03/2017 फुटु महतो वगै० बनाम् धनेश्वर करमाली एवं राज्य में दिनांक–24.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ की गई। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ में दायर) भू–वापसी वाद सं०–03/2013–14/39/2015–16 धनेश्वर करमाली बनाम् फुटु महतो वो० की माँग की गई है। प्रश्नगत भूमि मौजा–जांगी, थाना–गोला, थाना नं०–11 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–04 प्लॉट न०–1155, 1201, 1222, 1190, 1179, 1176, 1479, रकवा क्रमशः–0.40 ए० मध्ये 0.32 ए० भूमि, 0.51 ए०, 0.46 ए०, 0.17 ए०, 0.16 ए०, 0.31 ए०, 0.24 ए०, भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–25.09.2019 को अपीलार्थी क्रमांक संख्या–13 धर्मनाथ महतो, पिता–नागो महतो के मृत्यु के पश्चात इटानी देवी, साबो देवी, प्रेमचन्द दांगी को प्रतिस्थानी बनाने हेतु आवेदन दायर किया गया जिसे स्वीकृत किया गया। पुनः अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–04.12.2020 को अपीलार्थी क्रमांक संख्या–08 रामदेव महतो, पिता–स्व० चानु महतो के मृत्यु के पश्चात शांति देवी, नन्दकिशोर महतो, भरत राम दांगी को प्रतिस्थानी बनाने हेतु आवेदन दायर किया गया जिसे स्वीकृत किया गया। पुनः अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–19.08.2021 को अपीलार्थी क्रमांक संख्या–12 दिवाकर महतो, पिता–विशेश्वर महतो के मृत्यु के पश्चात मुखो देवी, मुकेश कुमार, अनिल कुमार महतो को प्रतिस्थानी बनाने हेतु आवेदन दायर किया गया जिसे स्वीकृत किया गया। पुनः अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–02.12.2022 को अपीलार्थी क्रमांक संख्या–02 मिटकु महतो, पिता–स्व० काशीनाथ महतो के मृत्यु के पश्चात चमेली देवी, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार को प्रतिस्थानी बनाने हेतु आवेदन दायर किया गया जिसे स्वीकृत किया गया।	

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूमि मौजा–जांगी, थाना–गोला, थाना नं०–11 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–04 प्लॉट न०–1155, 1201, 1222, 1190, 1179, 1176, 1479, रकवा क्रमशः–0.40 ए० मध्ये 0.32 ए० भूमि, 0.51 ए०, 0.46 ए०, 0.17 ए०, 0.16 ए०, 0.31 ए०, 0.24 ए०, भूमि खतियान में अमर सिंह वो धनु करमाली पैशरान जीतवाहन करमाली कौम करमाली दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला एवं हुकुमनामा के आधार पर दावा करते है उनका कहना है कि मौजा–जांगी खाता सं०–04 सर्वे खतियान में अमर सिंह वो धनु करमाली पेशरान जीतवाहन करमाली कौम लोहार का नाम दर्ज है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 के तहत् लोहार आदिवासी की श्रेणी में नहीं आता है। उनका आगे कहना है कि उक्त भूमि खतियानी रैयत के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को इस्तेफा दिया गया। भूतपूर्व जमींदार द्वारा उक्त भूमि हुकुमनामा तथा निबंधित केवाला से अपीलार्थी एवं अन्य को भूमि हस्तांतरित की गई। अपीलार्थी के द्वारा कहा गया है कि अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार उक्त भूमि पर फुदु महतो वगै० का 40 वर्षो से दखल कब्जा है इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) लागू नहीं होता है। उनका कहना है कि आयुक्त का न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर रिविजन वाद 35/1995 में विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध धनेश्वर करमाली ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दायर किये है, जो W.P.(C) No.- 1910/2003 धनेश्वर करमाली बनाम कमिशनर हजारीबाग वगै० था। उक्त रिट पिटिशन को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज करते हुए आदेश पारित किया गया कि धनेश्वर करमाली खाता नं०–04 में लोहार जाति के अन्तर्गत आते है। उक्त आदेश के विरूद्ध धनेश्वर करमाली के द्वारा LPA No.-156/2009 दायर किया गया उसे भी खारिज किया गया। उनका आगे कहना है कि एक तरफ धनेश्वर करमाली ने सिविल कोर्ट, रामगढ़ में टाईटल सुट नं०–98/2012 धनेश्वर करमाली वगै० बनाम शेख खुदा बक्स मियॉ वगै० दायर किया गया दुसरी तरफ धनेश्वर करमाली द्वारा 2013 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद दायर किया गया। अर्थात एक ही भूमि पर दो न्यायालय में दो अलग–अलग वाद दायर किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। इस प्रकार यह सबित होता है कि धनेश्वर करमाली अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आते है एवं उनके द्वारा दायर भू–वापसी का मामला कालबधित है। इसलिए भू–वापसी वाद को खारिज करने का अनुरोध किये है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि भूमि मौजा–जांगी, थाना–गोला, थाना नं०–11 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–04 प्लॉट न०–1155, 1201, 1222, 1190, 1179, 1176, 1479, रकवा क्रमशः–0.40 ए० मध्ये 0.32 ए० भूमि, 0.51 ए०, 0.46 ए०, 0.17 ए०, 0.16 ए०, 0.31 ए०, 0.24 ए०, भूमि खतियान में अमर सिंह वो धनु करमाली पेशरान जीतवाहन करमाली कौम करमाली दर्ज है। वे उक्त खतियान के वंशज है। विपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदिवासी भूमि से उन्हें अवैध कागजात के द्वारा जबरदस्ती बेदखल कर दिये है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46-4(A) का उल्लंधन है। अतः अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी अपील वाद संख्या–01/2016 में दिनांक–22.12.2016 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद सं०–03/2013–14/39/2015–16 में दिनांक–18.03.2016 को पारित आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। तथा अपीलार्थी के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–जांगी, थाना–गोला, थाना नं०–11 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–04 प्लॉट न०–1155, 1201, 1222, 1190, 1179, 1176, 1479, रकवा क्रमशः–0.40 ए० मध्ये 0.32 ए० भूमि, 0.51 ए०, 0.46 ए०, 0.17 ए०, 0.16 ए०, 0.31 ए०, 0.24 ए०, भूमि खतियान में अमर सिंह वो धनु करमाली पेशरान जीतवाहन करमाली कौम करमाली दर्ज है। उक्त सभी प्लॉटों में अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त भूमि की पंजी–II कायम जमाबंदी किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। उक्त भूमि से आवेदक गणों को 40 वर्षो से बेदखल किया गया है। उन्होनें भू–वापसी की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं सरकारी अधिवक्ता अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन एवं विविध न्यायालयों द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है मौजा–जांगी, थाना–गोला, थाना नं०–11 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–04 प्लॉट न०–1155, 1201, 1222, 1190, 1179, 1176, 1479, रकवा क्रमशः–0.40 ए० मध्ये 0.32 ए० भूमि, 0.51 ए०, 0.46 ए०, 0.17 ए०, 0.16 ए०, 0.31 ए०, 0.24 ए०, भूमि खतियान में अमर सिंह वो धनु करमाली पेशरान जीतवाहन करमाली कौम करमाली दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें उक्त भूमि निबंधित केवाला एवं हुकुमनामा से प्राप्त है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि किस परस्थिति मे एक ही वर्ष में इस्तेफा एवं हुकुमनामा सम्पादित किया गया। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंघन प्रतीत होता है। अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि आयुक्त का न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर रिविजन वाद सं०–35/1995 सुखदेव महतो एवं अन्य बनाम लटलु करमाली एवं अन्य में विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध धनेश्वर करमाली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दायर किये है, जो W.P.(C) No.- 1910/2003 धनेश्वर करमाली बनाम कमिशनर हजारीबाग वगै० था। उक्त रिट पिटिशन को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध धनेश्वर

8L

करमाली के द्वारा LPA No.-156/2009 दायर किया गया उसे भी खारिज किया गया। धनेश्वर करमाली के द्वारा पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू-वापसी वाद सं०-03/2013-14/39/2015-16 धनेश्वर करमाली बनाम फुदु महतो वो दायर किया गया, जिसमें भू-वापसी का आवेदन स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू-वापसी अपील वाद सं०-01/2016 फुदु महतो वगै० बनाम धनेश्वर करमाली एवं राज्य दायर किया गया जिसमें निम्न न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया एवं अपील आवेदन खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय आयुक्त का न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में भू-वापसी रिविजन वाद संख्या-03/2017 फुदु महतो वगै० बनाम धनेश्वर करमाली एवं राज्य दायर किया गया जिसमें आदेश पारित किया गया कि, "माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या-W.P.(C) No.- 1910/2003 धनेश्वर करमाली एवं अन्य बनाम आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं अन्य एवं उससे उद्भूत वाद सं०- LPA No.-156/2009 धनेश्वर करमाली एवं अन्य बनाम आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं अन्य में पारित आदेश में मौजा-जांगी, खाता संख्या-04 में तत्समय् प्रस्तुत खतियान के आधार पर लटलु करमाली को अनुसूचित जनजाति के वर्ग का नहीं माना गया है, जबकी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या-03/2013-14/39/2015-16 तथा भू-वापसी अपील वाद संख्या-01/2016 में प्रस्तुत खतियान में प्रतिवादी को करमाली कौम दर्शाया गया है, जिससे विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न होती है। उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दोनों सर्वे खतियान की सत्यता सहित अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के संबध में विस्तृत जाँच किया जाना आवश्यक है, तदनन्तर समुचित आदेश पारित किया जाय।" नई सिरे से सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु वाद को रिमाण्ड किया गया

उक्त आदेश के आलोक में धनेश्वर करमाली के जाति प्रमाण पत्र की जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला एवं अंचल अधिकारी, गोला से कराई गई, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला ने अपने पत्रांक-365, दिनांक-07.03.2022 से प्रतिवेदित किया कि कार्यालय में उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र पंजी के पृष्ठ संख्या-220, क्रमांक-1131 दिनांक-29.06.2011 में धनेश्वर करमाली, पिता-स्व० लटलु करमाली, ग्राम-जांगी का जाति प्रमाण पत्र करमाली जाति के नाम से दर्ज है, जो सही है। खतियान के संबंध में अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कार्यालय में खतियान उपलब्ध नहीं है। स्थानीय जाँच के क्रम में एक खतियान की छायाप्रति में कौम करमाली दर्ज है और दुसरे खतियान की छायाप्रति में कौम लोहार दर्ज है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला एवं अंचल अधिकारी, गोला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संयुक्त जाँच हेतु भूमि सुधार उप सामहर्त्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, गोला को दी गई। भूमि सुधार उप सामहर्त्ता, रामगढ़ ने पत्रांक-1632, दिनांक-13.10.2022 के द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये एक ही खाता संख्या-04 के सर्वे खतियान में कौम अलग-अलग

दर्ज होने के कारण संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए जिला अभिलेखागार, हजारीबाग से दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता संख्या–04 के सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं अन्य खाता संख्या–50 के सर्वे खतियान की छायाप्रति का सत्यापन कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोला को जिला अभिलेखागार, हजारीबाग से खतियान का सत्यापन करने हेतु निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, गोला के पत्रांक–39, दिनांक–09.01.2023 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग के पत्रांक–316, दिनांक–13.12.2022 की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया है कि मौजा–जांगी, थाना संख्या–11, अन्तर्गत खाता संख्या–04 से संबंधित प्राप्त छायाप्रति खतियान में अमर सिंह वो घनु करमाली पेशरान जितवाहन करमाली कौम करमाली दर्ज है। जो कि इस कार्यालय से निर्गत है। इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़, अपर समाहर्त्ता, रामगढ़, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला एवं अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–जांगी के खाता सं०–04 में खतियान के आधार पर कौम करमाली माना गया है। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट करने मे असफल रहे कि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(A) के तहत हुआ अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–03 / 2013–14 / 39 / 2015–16 धनेश्वर करमाली बनाम् फुटु महतो वो में दिनांक–18.03.2016 एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी अपील वाद संख्या–01 / 2016 फुटु महतो वगै० बनाम् धनेश्वर करमाली एवं राज्य में दिनांक–22.12.2016 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(A) के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
17.01.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
17.01.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.02.07 18:01:06 +05:30
Location: 192.168.0.20